

**न्यायालय: श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-841/2012
संस्थित दिनांक-16.10.2012
फाईलिंग क्र. 234503001712012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-जियालाल साहू पिता हरिचन्द साहू, उम्र-38 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-हरिचंद पिता रामसिंह साहू, उम्र-59 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-सेवकराम पिता हरिचंद साहू, उम्र-27 वर्ष,
निवासी-ग्राम मानेगांव, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-17/06/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-28.09.2012 को दिन के 3:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में खेत महुआ पेड़ के पास लोकस्थान या उसके समीप फरियादी रामचंद को अश्लील शब्द "तेरी माँ-बहन को चोदू मादरचोद" उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी रामचंद को लाठी व तुतारी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामचंद ने

दिनांक-28.09.2012 को पुलिस थाना बिरसा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम मानेगांव में रहता है। लगभग 3:30 बजे दिन में वह अपने बैल चराने जा रहा था, तब खेत के मेढ़ के पास उसका भतीजा सेवकराम आया और उसे मॉ-बहन की गालियां देने लगा और बैल मेढ़ से ले जाने की बात को लेकर विवाद करने लगा। आरोपी ने उसे यह भी कहा कि वह उसकी फसल बरबाद करता है। आरोपी ने उसे पास में पड़ी लकड़ी से सिर पर बाएं तरफ मारा उसी समय मौके पर आरोपी जियालाल और हरिसिंह आ गए और उन्होंने लाठी से तथा हाथ-मुक्कों से उसे दाहिने हाथ पर मारा। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-116/2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 506, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा है। आरोपीगण ने धारा धारा-313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या दिनांक-28.09.2012 को दिन के 3:30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव में खेत महुआ पेड़ के पास लोकस्थान या उसके समीप फरियादी रामचंद को अश्लील शब्द "तेरी मॉ-बहन को चोदू मादरचोद" उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी रामचंद को लाठी व तुतारी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक

अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 व 3 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन साक्षी रामचंद (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के संबंध में अथवा जान से मारने की धमकी दिये जाने के विषय में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साक्षी अमरीत (अ.सा.2) मौके पर उपस्थित था और उसके द्वारा स्वयं आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के विषय में तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने के विषय में कोई कथन नहीं किया गया है। शेष अभियोजन साक्षी चेतनलाल (अ.सा.3), श्यामसिंह (अ.सा.4) जो मौके पर उपस्थित थे, उनकी साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को अश्लील गालियां उच्चारित फरियादी तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया जाना तथा आरोपीगण द्वारा फरियादी पक्ष को जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 का निष्कर्ष :-

6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रामचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है, क्योंकि वह उसके रिश्तेदार हैं। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व की दिन के 4:00 बजे की खेत की है। घटना दिनांक को आरोपी के खेत की मेढ़ और उसके खेत की मेढ़ पर बैल ले जाने की बात को लेकर उसका विवाद हुआ था। आरोपी सेवकराम ने उससे कहा कि खेत से बैल क्यों ले जा रहा है तथा आरोपी हरिसिंह और जियालाल आए और उन्होंने लकड़ी से उसके साथ मारपीट की जिससे उसे सिर पर चोट आई और आँख पर भी खून आ गया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर उसने अंगूठा लगाया था। पुलिस ने घटना मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इस घटना से पूर्व भी आरोपीगण के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि पहले आरोपी सेवकराम से उसकी लड़ाई हुई थी और आरोपी हरिसिंह के धक्का देने पर वह गिर गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को

साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण ने थाना बिरसा में उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की।

7— अभियोजन कहानी का समर्थन कर साक्षी अमरीत (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपीगण तथा फरियादी को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व शाम की 4 बजे, उसके खेत की है। वह घटना के समय बैल चरा रहा था, तब उसके साथ उसका बड़ा पिता रामचंद्र भी था। आरोपीगण ने कहा कि यहां क्यों बैल चरा रहे हो। आरोपी जियालाल ने लाठी से तथा अन्य आरोपीगण ने हाथ-मुक्के से फरियादी रामचंद्र के साथ मारपीट की जिससे उसके सिर तथा दाहिने हाथ में चोट आई थी। उसने बीच-बचाव किया था एवं फरियादी के साथ जाकर थाना बिरसा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि बैल के चराने की बात को लेकर आरोपीगण एवं फरियादी के बीच पूर्व में भी विवाद हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह लगभग 100 मीटर की दूरी पर बैल चरा रहा था और हल्ला सुनकर मौके पर पहुंचा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत रामचंद्र को विवाद में गिर जाने से चोट आई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी रामचंद्र उसका रिश्तेदार है और वह रामचंद्र के साथ ही न्यायालय में आया है।

8— सुरेश नागेश्वर (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.09.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-116/12, धारा-294, 323, 506, 34 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल का मौकानक्शा फरियादी रामचंद्र की निशानदेही पर बनाया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी जियालाल से एक लाठी तथा सेवकराम से बैल हांकने की तुतारी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 से लगायत प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने साक्षिगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था तथा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की केस डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है

कि प्रदर्श पी-1 का मौकेनक्शे के ही फरियादी रामचंद्र के ही हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 पर फरियादी रामचंद्र के अंगूठा निशानी विवेचक द्वारा अंकित की गई है। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही थाने में बैठकर अपने मन से कर ली है।

9— लखन भिमटे (अ.सा.9) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह दिनांक-28.09.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रामचंद्र की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवदेन क्रमांक-116/12, धारा-294, 323, 506, 34 भा.द.वि. के तहत रिपोर्ट लेख किया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं फरियादी रामचंद्र के अंगूठा निशान हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि फरियादी रामचंद्र के साथ रिपोर्ट लिखाने कौन आया था वह नहीं बता सकता।

10— डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28.09.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक नरेन्द्र क्रमांक-1205 द्वारा आहत रामचंद्र पिता रामसिंह, उम्र-55 वर्ष, निवासी ग्राम मानेगांव को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया, जिसमें उसने आहत के शरीर पर तीन चोटें पाई थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किया है कि आहत को आई सभी चोटें किसी कड़े एवं पतले रेखीय आकार के ऑब्जेक्ट तथा बोथरी वस्तु के प्रहार से आना प्रतीत होती थी तथा उसके परीक्षण के 2 घंटे के अंदर की थी, जिन्हें ठीक होने में 5-7 दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती हैं।

11— अभियोजन साक्षी चेतनलाल (अ.सा.3), श्यामसिंह (अ.सा.4) ने कहा है कि वे आरोपीगण को पहचानते हैं। घटना के समय आरोपीगण एवं फरियादी के बीच विवाद हुआ था। उसने घटना दूर से देखी थी, इसलिए उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी रामचंद्र के साथ लकड़ी से मारपीट की थी। अभियोजन साक्षी एवललाल (अ.सा.8), सुनील साहू (अ.सा.7) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया

है। उन्होंने अपने सामने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है, परंतु जप्ती प्रदर्श पी-2 व प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

12— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी रामचंद ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि बैल चराने की बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपीगण ने लकड़ी से उसे मारा था, जिससे उसे सिर तथा भुजा में चोट आई थी। मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी अमरीत (अ.सा.2) ने भी फरियादी रामचंद के कथनों का समर्थन करते हुए यह कहा है कि आरोपीगण ने फरियादी रामचंद के साथ बैल चराने की बात को लेकर मारपीट की थी। यदि साक्षी श्यामसिंह (अ.सा.4), चेतनलाल (अ.सा.3) के कथनों पर विचार किया जावे तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण तथा फरियादी के मध्य विवाद होते हुए दूर से देखा था। फरियादी रामचंद अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 घटना दिनांक को ही घटना के तत्काल पश्चात् दर्ज कराई गई थी, यह बात प्रदर्श पी-8 से दर्शित है। आहत का घटना दिनांक को ही चिकित्सीय परीक्षण हुआ था और उसे साधारण प्रकृति की चोट दाहिनी भुजा पर एवं बाईं कनपटी पर चिकित्सक साक्षी डॉ. एम.मेश्राम (अ.सा.6) द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किये जाने पर पाया गया था। यद्यपि जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षियों ने विवेचक द्वारा की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है, परंतु इससे मुख्य घटना के घटित होने को लेकर कोई प्रतिकूल प्रभाव होना नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध में सिद्ध दोष पाया जाता है।

13— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध में सिद्ध दोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर

सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पुनश्च-

14- दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण तथा फरियादी पक्ष एक ही गांव के रहने वाले तथा अब उनके बीच सामान्य संबंध हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

15- आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। अपराध सामान्य मारपीट प्रकृति का है, अत्यंत गंभीर प्रकृति का नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को सांकेतिक दंड दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा-323/34 का अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने से न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 200-200 रुपये (सौ रुपये प्रत्येक आरोपी) अर्थ दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाये जाने की दशा में आरोपीगण को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। अर्थ दंड की राशि में से 200/-रुपये प्रार्थी रामचंद को दं.प्र.सं. की धारा 357(ख) के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में दिलाया जावे।

16- आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

17- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

19- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लाठी तथा एक बैल हांकने की तुतारी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

बैहर,
दिनांक-17.06.2016